POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 30.06.2025

1.थाना फेस-2 व सीआरटी/स्वॉट-2 टीम द्वारा अवैध गांजे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 108 किलोग्राम अवैध गाँजा (कीमत 25 से 30 लाख रूपये) बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 30.06.2025 को थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व बीट पुलिसिंग की सहायता से चेकिंग के दौरान बड़ा पार्क निम्मी बिहार के सामने, सेक्टर-88, गौतमबुद्धनगर से अवैध गाँजे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए 04 अभियुक्त 1.अब्दुल्ला पुत्र शहजाद जहाज 2.सोवान पुत्र शमशाद 3.शाबान हसन पुत्र आमिर हसन 4.समीर हसन पुत्र दिलशाद को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 108 किलोग्राम अवैध गाँजा(कीमत 25 से 30 लाख रूपये) बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि वह यह गांजा उड़ीसा के रहने वाले एक व्यक्ति से रेलमार्ग के माध्यम से इनवर्टर की खाली बाड़ी में छिपाकर लाते है, जिससे किसी को शक न हो। वह लोग गांजे को एनसीआर क्षेत्र में घुम-फिरकर नशे के आदी लोगो को गांजा बेचते है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त उपरोक्त द्वारा उड़ीसा राज्य से रेलमार्ग के माध्यम से अवैध गांजा लाकर एनसीआर क्षेत्र में घुम-फिरकर नशे के आदी लोगो को गांजा बेचकर आर्थिक लाभ कमाना

1. ये सभी अभियुक्त रेलमार्ग/बस के माध्यम से अवैध गांजा इनवर्टर की खाली बाड़ी में छिपाकर लाते है।
2. ये सभी एनसीआर क्षेत्र में घुम-फिरकर नशे के आदी लोगो को गांजा बेचकर आर्थिक लाभ कमाते है।
3. ये सभी अभियुक्त अवैध गांजा उड़ीसा राज्य के रहने वाले आयुष नाम के व्यक्ति से खरीद कर लाते है।
4. ये सभी अभियुक्त जिला मुजफ्फरनगर (उत्तरप्रदेश) के रहने वाले है।
5. ये सभी अभियुक्त अधिकतर पकड़े जाने के डर से आपस में सम्पर्क व्हाट्सएप कॉल से करते थे ताकी पुलिस इनको ट्रेस न कर सके।
6. अभियुक्तों से पकड़े गये 108 किलोग्राम अवैध गांजा की अनुमानित कीमत 25 से 30 लाख रूपये है।
7. ये सभी अभियुक्त रेलमार्ग से गांजा लाकर ऐसे रेलवे स्टेशन पर उतरते है जहां तलाशी नही होती है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--
1. अब्दुल्ला पुत्र शहजाद जहाज निवासी वैसरेड़ी, थाना छपार, जिला मुजफ्फरनगर उम्र करीब 20 वर्ष, शिक्षा-अशिक्षित।
2. सोवान पुत्र शमशाद निवासी बैसरेड़ी, थाना छपार, जिला मुज़फ़्फ़रनगर उम्र करीब 19 वर्ष, शिक्षा कक्षा-5 तक।
3. शाबान हसन पुत्र आमिर हसन निवासी महमूदनगर, थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर उम्र करीब 20 वर्ष शिक्षा कक्षा-8 तक।
4. समीर हसन पुत्र दिलशाद निवासी महमूद नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद मुज़फ़्फ़नगर उम्र करीब 20 वर्ष शिक्षा कक्षा-8 तक।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 302/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. कब्जे से कुल 108 किलोग्राम अवैध गाँजा (अनुमानित कीमत 20 से 25 लाख रूपये)